

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

(TO BE PUBLISHED IN PART III SECTION 4 OF GAZETTE OF INDIA) NOTIFICATION (Chartered Accountants)

No.1-CA (7)/(179)/2016

Date: 14.09.2016

In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Eastern India Regional Council at Jharsuguda District with effect from 10.08.2016.

The Branch shall be known as Jharsuguda Branch of Eastern India Regional Council.

The Jurisdiction of the Branch shall include all the places within Jharsuguda District.

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through Eastern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. Sagar Secretary

Phone: (+91) (11) 3989 3989 | Fax: (+91) (11) 3011 0581

Email: icaiho@icai.org | Website: http://www.icai.org



THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

(भारत का राजपत्र, भाग ।।। खण्ड ४ में प्रकाशनार्थ) अधिसूचना (चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस)

स0 1-सीए (7)/179/2016

दिनांक : 14 सितम्बर 2016

चार्टर्ड एकाउटैन्टस अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1A) के अनुसरण में दि इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटैन्टस ऑफ इंडिया की परिषद, पूर्व भारत प्रादेशिक परिषद की एक शाखा की दिनांक 10 अगस्त 2016 से झारसुगुढ़ा जिले, में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा पूर्व भारत प्रादेशिक परिषद् की झारसुगुढ़ा शाखा के नाम से जानी जायेगी ।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत झारसुगुढ़ा जिले के सभी स्थान आयेंगें।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निदेशों के अधीन रहते हुए पूर्व भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय—समय पर जारी किये जायेंगें।

(वी० सागर)

सचिव